

अनुमति की शर्तें ।

- (i) स्वयं भवन/पुस्तक के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजस्विय, व्यावसायिक या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

केवल शिड्यूली केवल आवासीय प्रयोजनार्थी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 599 दिनांक 24/06/2020

प्राथी देवचन्द्र डी/डी ईश्वर दाम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 6677/- प्रेष

जारीये रसीद संख्या 1031/1688, 1689

दिनांक 24/06/2020 को जमा करा दी है ।

P.No = 4-सू-6 चौपासानी
शाउमिंग बोर्ड

(Signature)
29/6/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

जी+)
आवासीय

अनु 99 49/933
11/7/2020